भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES COURT FEE
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

21

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R 4053- I-16

प्रकरण कमांक पुनरीक्षण /2016

1— गुरूमुख दास पिता भोजराज
2— चंद्रलाल पिता भोजराज
निवासीगण राईट टाउन
जिला जबलपुर म0प्र0 ------ आवेदकगण

630
30-11-16

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
तहसीलदार, गोरखपुर अनुभाग,
जबलपुर ------ अनावेदक

द्वारा आज दि 30-11-16 को प्रस्तुत

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय तहसीलदार, गोरखपुर–1 जबलपुर के प्रकरण कमांक 34/अ–12/15–16 आदेश दिनांक 10–3–16 से व्यथित होकर ।

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

8
30/11/16

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1— यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2— यहकि, आवेदकगण के स्वामित्व की ग्राम पुरवा नं.बं. 162 प.ह.नं. 28/33 तहसील जबलपुर जिला जबलपुर में भूमि स्थित है, जो आवेदकों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जिसका खसरा नं. 69/2 का हिस्सा जिसका नामांतरण के पश्चात खसरा नं. 69/2 ख रकबा 0.405 एवं 69/2 का रकबा है ।

3— यहकि, आवेदकों की भूमि पटवारा नक्शा अनुसार उत्तर दिशा तरफ का हिस्सा खसरा नं. 69/2 का भाग है एवं नव निवेश सोसायटी का पटवारी नक्शा अनुसार दक्षिण तरफ का हिस्सा है जिसका खसरा नं. 69/1 है ।

XXXIX(a)BR(H)-11 -2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 4053-एक/16 **जिला - जबलपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-12-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, गोरखपुर-1 जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 34/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 10-3-16 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण का संक्षेप में सारांश इस प्रकार है कि आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 69/2, 69/2ख एवं 69/2क रकबा क्रमशः 0.246, 0.405 एवं 0.405 हैक्टर का नक्शा बटांक किए जाने का निवेदन किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए अन्य भूमि से संबंधित सीलिंग प्रकरण में संलग्न नक्शा दिनांक 26-5-95 अनुसार नक्शा बटांक करने के आदेश दिए गए । तहसीलदार के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । 3/ आवेदक का कहना है कि तहसीलदार का आदेश अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण है क्योंकि सीलिंग प्रकरण से आवेदकों का कोई संबंध नहीं है । उक्त सीलिंग प्रकरण में विवादित भूमि का खसरा नं. 69/1 है जो मायादेवी एवं नव निवेश सह0 गृह निर्माण सोसायटी (जिसके द्वारा मायादेवी से उक्त भूमि को क्रय किया गया था) द्वारा लड़ा गया है	

R-4053.I/16 (नामांतरण)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	और उक्त प्रकरण में भी नवनिवेश सोसायटी द्वारा खसरा नं. 69/1 को दक्षिण दिशा में होने तथा खसरा नं. 69/2 को उत्तर दिशा में होना स्वीकार किया गया है । सीलिंग प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में पटवारी द्वारा तहसीलदार को वर्ष 2009 में जो प्रतिवेदन स्थल निरीक्षण पंचनामा एवं नजरी नक्शा सहित पेश किया गया है उसमें भी खसरा नं. खसरा नंबर 69/2 को उत्तर दिशा में दर्शाया गया है तथा खसरा नं. 69/1 नव निवेश सह0 गृह निर्माण सोसायटी द्वारा प्लॉटिंग कर प्लॉट विक्रय किए जाने की बात कही गई है । उक्त तथ्यों को तहसीलदार द्वारा अनदेखा किया गया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है । 3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण नक्शा बटांक से संबंधित है जो आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष सीलिंग प्रकरण से संबंधित अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियां पेश की गई हैं जिनको देखने से स्पष्ट होता है कि उक्त सीलिंग प्रकरण मायादेवी तथा शासन के मध्य चला है और उसमें ग्राम पुरवा की भूमि खसरा नं. 69/1 को अतिशेष घोषित किया गया है । उक्त सीलिंग प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2008 में दिए गए निर्देशों के पालन में जो जांच प्रतिवेदन स्थल निरीक्षण पंचनामा एवं नजरी नक्शा सहित पटवारी	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 4053-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा दिनांक 30-12-09 को तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया है उसमें सीलिंग प्रकरण में अतिशेष घोषित खसरा नं. 69/1 पर नव निवेश गृह निर्माण समिति द्वारा प्लॉटिंग कर प्लॉट विक्रय करने की बात कही गई है प्रतिवेदन के साथ संलग्न नजरी नक्शे में आवेदकों की भूमि खसरा नं. 69/2 को उत्तर दिशा में दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदकों की ओर से इस न्यायालय के समक्ष नव निवेश सह0 गृह निर्माण समिति मर्यादित जबलपुर द्वारा सीलिंग प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नं. 69/1 को भूमि परिवर्तन संबंधी अनुविभागीय अधिकारी के रा0प्र0क0 134/अ/2/88-89 में पारित आदेश दिनांक 28-10-89 तथा उसके साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से स्वीकृत नक्शे की प्रति भी पेश की गई है, इस नक्शे में भी खसरा नं. 69/1 को दक्षिण दिशा में तथा आवेदकों की भूमि खसरा नं. 69/2 को उत्तर दिशा में दर्शाया गया है । दर्शित स्थिति में आवेदकों की भूमि खसरा नं. 69/2 को खसरा नं. 69/1 के स्थान पर चिन्हित करना विधि विरूद्ध है । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10-3-16 निरस्त किया जाता है एवं उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि	

R-4053-B/16 (Gwalior)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरोक्त विवेचना तथा सीलिंग प्रकरण क्रमांक 1473/अ-90(बी-3)/76-77 में पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा तथा नजरी नक्शा दिनांक 30-12-09 के मुताबिक आवेदकों का नक्शा बटांक दुरस्त करें और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	